राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.3(21)राज-3/2024 जयपुर, दिनांकः 18/07/2024

:: परिपत्र ::

विषय : सरकार की आवास योजना (PMAY-G/PM-JANMAN) के अन्तर्गत पात्र भूमिहीन व्यक्तियों/परिवारों'' को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु आवासीय पट्टा प्रदान किया

शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अशा. टीप दिनांक 11.03.2024 से राजस्व विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान के अन्तर्गत 6300 पात्र लाभार्थी आवासीय पट्टे के अभाव में उक्त योजनान्तर्गत आवास निर्माण से वंचित है।

राज्य व केन्द्र सरकार की लोककल्याण की उक्त योजनाओं के सफल कियान्वयन एवं उक्त वंचित परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में संबंधित ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि उसके क्षेत्राधिकार में रह रहे उक्त योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी/परिवार को उपलब्ध आबादी भूमि में आवासीय पट्टा हितधारी परिवार को उपलब्ध करवाया जावे। यदि आबादी भूमि में इनके आवास पट्टे जारी किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो उपयुक्त सिवायचक भूमि को आबादी विस्तार/प्रयोजनार्थ आरक्षित कर आवंटित किये जाने की मांग प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अतः उक्त समस्या के निराकरण के क्रम में समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश प्रदान किये जाते है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान के अन्तर्गत पात्र भूमिहीन लाभार्थी परिवारों को आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाये जाने के क्रम में आपके जिले से संबंधित लाभार्थियों की सूचना सबंधित विभाग से प्राप्त कर जिला परिषद् एवं जिला कार्यालय सहायता शाखा, पंचायत शाखा एवं राजस्व शाखा के समन्वय से आपके स्तर से पाक्षिक समीक्षा की जावे। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के पास ग्राम में आबादी भूमि उपलब्ध नहीं होने के दशा में संबंधित तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित करते हुए इस हेतु न्यूनतम आवश्यक सिवायचक भूमि चिन्हित कर आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द किये जाने बाबत प्रस्ताव अविलम्ब राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें।

साथ ही भविष्य में ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करते समय यह भी सुनिश्चित किया जावे कि आबादी हेतु दी जा रही भूमि में, ग्राम पंचायत सर्वप्रथम पात्र भूमिहीन व्यक्तियों/परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु आवासीय पट्टे जारी करें, यदि उक्त शर्त का उल्लंघन संज्ञान में आता/लाया जाता है तो, उक्त भूमि को वापस राजहक में सिवायचक दर्ज की जावे।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय/मा.राजस्व राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महो.।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग।
6. समस्त संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, राजस्व/उपनिवेशन विभाग।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

(बिरदी चन्द गंगवाल)
शासन उप सचिव